सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/ATY-1671/DL/5/2024-APCR-RU-IV Dated:- 28.03.2024

To,

1. **Shri Sanjay Arora**
Commissioner of Police,
Delhi Police,,
Police Headquarters,,
Jai Singh Road,,
New Delhi-110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

2. **Shri Ashwani Kumar**
Commissioner,
Municipal Corporation Of Delhi,
Minto Road,
New Delhi -110002
Email Id: commissioner@mcd.nic.in

Sub:- Representation of Dr. Anand Kumar Eslavath, M.D., RMS (CMO-NFSG), AVPH, Karampura, New Delhi regarding protection for atrocities on ST Officer and entire family.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 27.02.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:

Dr. Anand Kumar Eslavath,MD
RMS (CMO-NFSG), AVPH,
Karampura Ayush, MCD,
Delhi - 110015
Mobile No:9811728549.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NCST/ATY-1671/DL/5/2024-APCR

श्री आनंद कुमार एसलावथ, ए. वी. पी. एच, करमपुरा आयुश, एम.सी.डी. दिल्ली के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2025 को आयोग में हुई सिंटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 27.02.2025, 04:30 बजे |
सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

1. श्री आनंद कुमार एसलावथ, ए. वी. पी. एच, करमपुरा आयुष, एम.सी.डी. दिल्ली से दिनांक 18.04.2024 शिकायत आयोग में प्राप्त हुई है जिसमें बताया है कि जैसे ही उन्होंने उनकी पदोन्नति के मामले पर आयोग में शिकायत की है उसके पश्चात दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति के होने के कारण उनके स्थान पर तदर्थ पर पर भर्ती किये गये सह कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी है। इस बाबत उनके परिवार जन तथा स्वयं से आर.टी.आई. आवेदन तथा अपनी शिकायत दर्ज करायी है जिससे उनको यह आशंका है कि एम. सी. डी. द्वारा उनके तथा उनके परिवार पर खतरा हो सकता है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, एवं आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को दिनांक 29.04.2024 को नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी।

3. मामले में दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब दिनांक 31.05.2024 में पाया गया कि बिना किसी जाँच समिति के गठन के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी प्रति सूचनार्थ आवेदक को भेजी गई, जिस पर प्रार्थी असहमत हुए। अतः उन्होंने आयोग को रिज्वाइंडर भेजा और मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया। तदुपरांत, आयोग द्वारा दिनांक 03.12.2024 को दिल्ली पुलिस, तथा दिल्ली नगर निगम के साथ आयोग मुख्यालय में सुनवाई की गई। उक्त सुनवाई में दी गई अनुशंसाओं पर प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, 27.02.2025 को पुनः सुनवाई निर्धारित की गई। तदनुसार, संबंधित पक्षों को सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

4. प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिमी जिला दिल्ली, दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से शामिल हुए, तथा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम के स्थान पर निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (आयुष) उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता भी सुनवाई में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किया।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

i. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी जिला दिल्ली, इस मामले में सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से प्रार्थी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे तथा उस दौरान प्रार्थी मामले में सम्बन्धित सभी साक्ष्य व् जानकारी पुलिस को सौपेंगे व् आगामी जांच ने निष्पादन में पुलिस की सहायता करेंगे |

ii. यह मामला पूर्णतया पुलिस विभाग से सम्बन्धित है अत नगर निगम दिल्ली से इस मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है |

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के समयाविधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1671/DL/5/2024-APCR-RU-IV

Sitting to be held on **27.02.2025 at 04:30 P.M** – Representation of Dr. Anand Kumar Eslavath, M.D., RMS (CMO-NFSG), AVPH, Karampura, New Delhi regarding protection for atrocities on ST Officer and entire family.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Siddharth Rasik Saran		[signature]
6.			
II	**Officers from O/o Commissioner of Police – Delhi Police**		
1.	Shristi Pandey Addl DCP-I West	[signature]	
2.	S S-Rathee ACP/P Beg	[signature]	
3.	Insp Varun Dalal SHO/ M.Nagar	[signature]	
III	**Officers from O/o Commissioner, Municipal Corporation of Delhi**		
1.	B. P. Bhardwaj Dir (Pers)		[signature]
2.	Prem Kr Mandal Dir (Pers), MCD	Civic Centre Minto Road	[signature]
3			
IV	**Petitioners**		
1.	Dr. ANAND KUMAR ESLAVATH.	9811728849	Dr Eslavath [signature]
2.			